प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न-1 संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) नियमावली क्या है ?

उत्तर: अनुच्छेद 320(3) में उल्लिखित मामलों में आयोग से परामर्श अनिवार्य है। तथापि, राष्ट्रपति ने ऐसे मामलों के निर्दिष्ट करते हुए विनियम बनाए है जिनके सम्बन्ध में आयोग से परामर्श अनिवार्य नहीं होगा। इसे संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियमावली, 1958 कहा गया है।

प्रश्न-2 राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन क्या है ?

उत्तर: राष्ट्रीय सम्मेलन के माध्यम से पिछले कुछ वर्षों में राज्य लोक सेवा आयोगों के बीच भर्ती के तरीकों, कार्मिक नीतियों, परीक्षाओं के संचालन आदि मामलों के संबंध में एक स्थाई संबंध विकसित किए जाने का प्रयास किया गया है। यह सम्मेलन बदलते हुए सामाजिक आर्थिक परिवेश और इसके परिणामस्वरूप लोगों की अपेक्षाओं और संवैधानिक दायित्वों के अनुरूप आयोगों की कार्य नीति में लाए जाने वाले बदलावों पर चर्चा के लिए एक उपयुक्त मंच भी प्रदान करता है। लोक सेवा आयोगों का प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन वर्ष 1949 में आयोजित किया गया था। तत्पश्चात समय-समय पर सम्मेलन आयोजित किए गए। वर्ष 1999 में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन के पदेन अध्यक्ष बने। राष्ट्रीय सम्मेलन प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है।

प्रश्न-3 आयोग में इंजीनियरी सेवा परीक्षा में अनुशंसित उम्मीदवारों की पारस्परिक वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए कौन से मानदंड अपनाए जाते हैं ?

उत्तर- इंजीनियरी सेवा परीक्षा से संबंधित उम्मीदवारों के मामलों में इंजीनियरी के विभिन्न विषयों से आने वाले उम्मीदवारों की पारस्परिक वरिष्ठता निर्धारित किए जाने के लिए आयोग द्वारा अपनाए गए दिशानिर्देश हैं:-

(i) परीक्षा में कुल अंकों में से अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को वरिष्ठ माना जाता है;
(ii) अंतिम कुल अंक समान होने की स्थिति में इंजीनियरी के कुल अंकों में से अधिक अंक प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को वरिष्ठ माना जाता है;
(iii) इंजीनियरी के अंक भी समान होने की स्थिति में, पहले पैदा हुए व्यक्ति को वरिष्ठ माना जाता है;

प्रश्न-4 आयोग में असाधारण पेंशन मामलों के लिए प्रस्ताव भेजते समय कौन-कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होती है ?

उत्तर: असाधारण पेंशन के मामलों में यह सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है कि निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज आयोग को भेजे गए हैं :-

क) उन परिस्थितियों का पूर्ण विवरण जिनमें चोट लगी थी/बीमारी हुई थी/मृत्यु हुई थी
ख) निर्धारित प्रपत्र में चोट/पारिवारिक पेंशन के लिए आवेदन
ग) चोट/मृत्यु आदि के संबंध में चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट आदि।
घ) इस संबंध में लेखा परीक्षण अधिकारी की रिपोर्ट कि क्या नियमों के अंतर्गत अवॉर्ड देय है और यदि हो तो उसकी राशि क्या है,

अवॉर्ड से लाभान्वित होने वाले परिवार के सदस्यों की पात्रता की भी जॉच की जानी चाहिए। यह अनिवार्य है कि ऐसे मामलों को जिनमें नियम लागू नहीं होते हैं और जिनमें अनुग्रही अवॉर्ड दिया जाना प्रस्तावित हो, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के विचार प्राप्त किए जाने के बाद ही आयोग को भेजा जाता है।

प्रश्न-5 कानूनी प्रतिपूर्ति मामलों के लिए कौन-कौन से दस्तावेज आयोग को भेजे जाने अपेक्षित हैं ?

उत्तर: कानूनी प्रतिपूर्ति मामलों में निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध करवाए जाने आवश्यक हैं :-

क) पूर्ण प्रोफार्मा ;
ख) निर्णय की प्रमाणित प्रति;
ग) वकीलों को अदा किए गए शुल्कों की टिकट लगी रसीदें;
घ) दावेदार का मूल दावा;
ङ) आदेश पत्रक की प्रमाणित प्रति अथवा एक प्रमाण-पत्र जो यह दर्शाता हो कि कितनी बार मामले की सुनवाई निर्धारित हुई और कब-कब वास्तव में सुनवाई हुई।
च) ऐसे मामलों को, जिनमें दावों की राशि 500/- रू. से अधिक हो, आयोग को भेजने से पहले दावे की ग्रह्यता और तर्कसंगतता के संबंध में विधि मंत्रालय/विधि अधिकारी के विचार लिए जाने चाहिए।